<u>सर्वोच्च प्राथमिकता/अतिमहत्वपूर्ण</u>
<u>संख्या-1124 /9-1-2024-123सा/15</u>

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
2. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
5. महाप्रबंधक, जलकल/जल संस्थान , उ0प्र0।
6. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 06 मई, 2024

विषयः सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई में नियोजित सफाई कर्मचारियों को Manual Scavengers and Rehabilitation Act, 2013 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियोजक द्वारा संरक्षात्मक साधनों और सुरक्षा उपरकरणों/उपस्करों को उपलब्ध कराने व SOP के अनुरूप कार्य करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-भा.स.02/9-1-14-73सा/2013 दिनाँक 01.07.2014, पत्र संख्या-4340/9-1-17-73सा/2013 दिनाँक 22.09.2017, पत्र संख्या- 1073/9-1-2018-123सा/2015 दिनाँक 07.06.2018 एवं पत्र संख्या-ज़ी.आई.09/9-1-2022-123सा/15 दिनाँक 29.03.2022, पत्र संख्या-456/9-1-2022-123सा/15, दिनांक 31.03.2022, पत्र संख्या-1303 /9-1-2022-17रिट/22 दिनांक 02.06.2022 एवं पत्र संख्या-73/9-1-2024-780254 दिनांक 16.01.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उल्लेखनीय है कि हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 उत्तर प्रदेश राज्य में दिनाँक 06.12.2013 से प्रभावी है। राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत दिनाँक 22.10.2014 को अधिसूचना निर्गत करते हुए किसी व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी एजेंसी द्वारा सीवर अथवा सेप्टिक टैंक की परिसंकटमय सफाई (Hazardous Cleaning) कार्य हेतु किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित किये जाने को पूर्ण रूप से निषेधित किया जा चुका है।

3. शासन के संज्ञान में आया है कि शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्रित नहीं किया जा रहा है। स्थानीय नागर निकायों/निजी फर्मो द्वारा सीवर अथवा सेप्टिक टैंक की सफाई में नियोजित सफाई कर्मचारियों को संरक्षात्मक साधन और आधुनिक उपकरणों/उपस्करों को उपलब्ध कराये बिना सफाई कार्य कराया जा रहा है, जिसके कारण दुर्घटनायें घटित हो रही हैं।

4. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया समस्त स्थानीय नागर निकायों (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) फर्मों/संस्थाओं के द्वारा सीवर सफाई के दौरान निम्न सामान्य सावधानियों का सख्ती से पालन सुनिश्रित कराया जाएः

(1) Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabitiliation Rules, 2013 अनुसार किसी भी व्यक्ति को सीवर सफाई के लिए सीवर में प्रवेश की अनुमति नहीं है, अतः सीवर सफाई के लिये बिना समुचित सुरक्षा के उपायों व SOP के अनुपालन किये हुए सीवर

GO

में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। सेप्टिक टैंक / सीवर की नियमित सफाई तथा अनुरक्षण, अधिकतम यंत्रीकरण, निर्धारित नियमों और मानक संचालन प्रक्रिया एवं सुरक्षा उपकरणों के साथ सुनिश्चित की जाय। असुरक्षित सफाई करवाना कानूनी अपराध है।

(2) सभी निकायों में सीवर लाइन सफाई एवं सेप्टिक टैंक/पिट की सफाई खाली करने हेतु IEC गतिविधियॉ संचालित की जायें, जिससे आमजन एवं सफाई कर्मचारियों को जागरूक किया जा सके, साथ ही यह संदेश दिया जाय कि सीवर सफाई आवश्यक सुरक्षा उपरकरणों एवं प्रशिक्षित कामगारों, जिसके पास वैध आई.डी. कार्ड हो, से ही मानक संचालन प्रक्रिया (CPHEEO द्वारा निर्गत SOP) के अनुसार करायी जाय, अन्यथा कार्य मशीनों से ही करवाया जाये।

(3) सुपरवाइजर पर्याप्त मशीनरी एवं सुरक्षा उपकरणों के साथ साइट पर उपस्थित रहे। सीवर सफाई का कार्य उस अवधि में किया जाय जब सीवर में सीवर की मात्रा न्यूनतम हो।

(4) सुरक्षा संबंधी समस्त उपकरण सुपरवाइजर के पास सीवर की सफाई प्रारम्भ करने से पूर्व उपलब्ध होने चाहिए।

(5) सर्वप्रथम सुपरवाइजर द्वारा सीवर सफाई के लिए प्वाइंट का निर्धारण कर बैरीकेटिंग लगायी जाय।

(6) कार्य प्रारम्भ करने से एक घण्टे पूर्व कार्यस्थल के आगे-पीछे के दो-तीन मैनहोल खोले जायें ताकि जहरीली गैसे बाहर निकल सकें।

(7) सफाई हेतु प्रयोग में लाई जा रही मशीन का संचालन निर्धारित विधि एवं प्रशिक्षित सुपरवाइजर की देख-रेख में किया जाय।

(8) सफाई के उपरान्त मैनहोल को अच्छे तरीके से टाइट बन्द किया जाना चाहिये जिससे गैस रिसाव न हो सके।

(9) हानिकारक गैस रिसाव होने की स्थिति से बचाव हेतु सुरक्षा उपकरण जैसे Breathing Appratus, Alarm system, First Aid इत्यादि की सम्पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(10) स्थानीय निकायों को मैकेनिकल साधन द्वारा सीवर एवं सेप्टिक टेक की सफाई हेतु अनुभवी ऐजेंसी नियुक्त करनी चाहिए, जिसके पास इस तरह के कार्य का अनुभव आवश्यक मशीनरी व अनुभवी व्यक्तियों की उपलब्धता हो।

(11) पंजीकृत ऐजेंसियों की सूची पब्लिक डोमेन/निकायों की वेवसाईट पर उपलब्ध करवानी चाहिए।

(12) सफाई के कार्य हेतु सुपरवाईजर एवं प्रयुक्त मानव संसाधन पूर्ण रूप से उपयुक्त एवं प्रशिक्षित होने चाहिए। स्थानीय भाषा में आवश्यक जानकारी सुपरवाईजर एवं कार्मिकों को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

(13) सुपरवाईजर के साथ में सफाईकर्मियो के नाम, पते और आवश्यक सूचना होनी चाहिए।

(14) सफाई मशीनों/उपकरणों की संचालन प्रक्रियाओं की समस्त प्रक्रिया स्थानीय भाषा में स्थानीय निकायों द्वारा तैयार कर रखी जावें और उसकी जानकारी सम्बंधित कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाये।

(15) स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी सफाई कर्मचारी नियमित रूप से चिकित्सा जांच और अपेक्षित टीकाकरण करा रहे हैं और उसके उचित रिकॉर्ड रखेगे। गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को सफाई प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाये।

(16) स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि एजेंसी द्वारा जिन कर्मचारियों को सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई का कार्य सौंपा गया है, उनकी जीवन बीमा पॉलिसी कम से कम रू 30 लाख की हो, जिसके प्रीमियम का भुगतान संबंधित एजेंसी द्वारा वहन किया जाये।

(17) स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में चलने वाली सफाई मशीनों/वाहनो के मालिको के पूर्ण सम्पर्क विवरण रखेगा और उनके द्वारा एकत्रित किये गये सभी अवशिष्ट को केवल निर्धारित स्थलों/गहरे मशीन-होल/सीवेज शोधिकरण सयंत्र पर खाली करना सनिश्चित करें।

(18) पंजीकृत ऐजेसियों/ठेकेदार/नियोक्ताओं की किसी भी लापरवाही के लिये स्थानीय निकायों/संस्थाओं के प्रभारी/पर्यवेक्षणीय अधिकारी भी जिम्मेदार होगें।

(19) सफाई कर्मचारियों के समूह को नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NSKF & DC) द्वारा सीवर मशीन/उपकरण क्रय करने के लिए ऋण भी प्रदान किया जाता है। इस हेतु निकाय स्तर पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकती है।

(20) प्रत्येक स्थानीय निकाय द्वारा सीवर सफाई कार्य हेतु कम से कम एक सुपरवाईजर अथवा कार्यक्षेत्र बड़ा होने पर एक से अधिक सुपरवाईजरों को नामित करेगें।

(21) सफाई कार्य में कार्यरत विभागीय सुपरवाईजरों का नाम पब्लिक डोमेन / निकायों की वेबसाईट पर उपलब्ध करवाएं एवं सुपरवाईजर का स्थानान्तरण होने पर अन्य सुपरवाईजर की नियुक्ति कर उसका नाम पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध करायें।

(22) स्थानीय निकाय सुपरवाईजर को आवश्यक मशीनें, उपकरण उपलब्ध करायें एवं समय- समय पर कार्य हेतु प्रशिक्षण करायें।

(23) सीवरेज सिस्टम की मैपिंग की जाये, जिससे कि शिकायत क्षेत्र की पहचान कर कार्य को जल्दी से जल्दी पूर्ण किया जा सके एवं किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय निकाय द्वारा आवश्यक मदद उपलब्ध करवाई जा सकें।

(24) विभागीय सुपरवाईजर द्वारा व्यक्ति को सीवर लाईन सफाई में निर्देश देने से पूर्व उसे पूर्ण जोखिमों से अवगत करवाया जावे एवं उससे लिखित में स्वीकृति भी प्राप्त की जाय। सुपरवाईजर के साथ में सफाईकर्मियों के नाम, पते की आवश्यक सूचना होनी चाहिए।

(25) स्थानीय निकाय सफाई सम्बंधित शिकायतों को प्राप्त/पंजीकृत करने और उन्हे जल्द से जल्द हल करने के लिए एक complaint redressal system/Helpline number विकसित करे एवं सख्ती से अमल करें।

(26) कोई भी व्यक्ति अपने घर के सेप्टिक टैंक की सफाई अप्रशिक्षित श्रमिक से न कराये, केवल प्रशिक्षित श्रमिक ही सफाई हेतु लगाये जाए। इसे सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय निकाय प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करें। प्रत्येक निकाय में गठित Responsible Sanitation Authority (RSA) व Emergency Response Sanitation Unit (ESRU) स्वयं से संबंधित दायित्वों का निर्वहन प्रभावी रूप से सुनिश्चित करें।

आप अवगत हैं कि उपर्युक्त प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। कृपया तद्नुसार निकाय/खण्ड स्तर पर सुपरवाइजर तथा उपकरणों की व्यवस्था के साथ-साथ प्रोटोकाल का सम्यक प्रशिक्षण तत्काल सुनिश्चित किया जाय। इस प्रक्रिया में शिथिलता का उत्तरदायित्व संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों का होगा।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

4---

GO

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
2. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अनुभाग, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना एवं समस्त संबंधित को ई-मेल किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।